प्रेस नोट संख्या-49

दिनांक 30.06.2025

थाना जायस पुलिस द्वारा एटीएम बदलकर ठगी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 एटीएम कार्ड बरामद।

दिनांक 29.06.2026 को आगन्तुक श्री सैफ पुत्र आफताब अहमद निवासी मोहल्ला हटिया मजरे कस्बा जायस थाना जायस जनपद अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष मय 01 अभियुक्त शुभम सोनकर पुत्र राकेश कुमार सोनकर निवासी नरसिंहगढ़ थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष तथा 01 अदद प्रार्थना पत्र के साथ थाना जायस पर सुपुर्द कर सूचना दी गई कि आवेदक बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम कस्बा जायस से रुपये निकाल रहा था उसी दौरान उपर्युक्त अभियुक्त द्वारा आवेदक के एटीएम कार्ड को अपने पास रखे एटीएम कार्ड में मिला लिया गया। उक्त अभियुक्त को थाना जायस पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर एवं प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुये थाना जायस पर मु0अ0सं0 95/26 धारा 318(4),317(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न बैंको के विभिन्न धारकों के कुल 06 अदद एटीएम कार्ड बरामद हुए।

अभियुक्त को थाना जायस पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

- शुभम सोनकर पुत्र राकेश कुमार सोनकर निवासी नरसिंहगढ़ थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी-

- विभिन्न बैंको के विभिन्न धारकों के कुल 06 अदद एटीएम कार्ड।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 95/26 धारा 318(4),317(2) बी0एन0एस0 थाना जायस जनपद अमेठी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 306/2025 धारा 112,317(4) बीएनएस थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 268/2025 धारा 318(4) थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।
3. मु0अ0सं0 193/2025 धारा 318(4) थाना संदीपनघाट जनपद कौशाम्बी।